



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

20 जनवरी 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की घोषणा की**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। एसईएसी की संरचना निम्नवत है:

1.	श्री एम. के. जैन, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	अध्यक्ष
2.	सुश्री रेवती अय्यर, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
3.	श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
4.	श्री हेमंत जी. कॉन्टेक्टर, भूतपूर्व एमडी, भारतीय स्टेट बैंक और भूतपूर्व अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	सदस्य
5.	श्री एन.एस. कन्नन, भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।	सदस्य

समिति को सचिवीय सहायता विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।

विदित हो कि लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों की जांच शुरूआत में रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदकों की प्रथम दृष्टया पात्रता सुनिश्चित करने हेतु की जाएगी। यह भी सूचित किया गया था कि बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी), उसके पश्चात आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने [दिनांक 22 मार्च 2021 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से पिछली एसईएसी की संरचना की घोषणा की थी।